सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

::डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज़िला उत्थान योजना::

दिशा निर्देश – 2025

ग्रामीण विकास विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(गुण एवं नियंत्रण)
☎ 0141-2227052 ✉ seqc.rdd@rajasthan.gov.in Website: rdprd.rajsthan.gov.in

क्रमांक : एफ 5(75)ग्रावि/अनुभाग 8/BA22.01.01/2025-12788 जयपुर, दिनांक 30/06/2025

::डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज़िला उत्थान योजना::

1. प्रस्तावना :–

वर्तमान परिस्थितियों में, "आर्थिक विकास" और "समावेशी सामाजिक विकास के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है इसलिए जिलों के लिए ऐसे समाधान तैयार करने होगें जो नवाचार को अपनाकर व्यापक स्तर पर लागू करने योग्य हो और गुणात्मक प्रभाव (multiplier effect) दे सकें और जिलों के रूपांतरकारी विकास (transformational development) को बढ़ावा दे सकें। "विकसित राजस्थान बनाने के लिए ज़िलों को वैश्विक मानकों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना होगा।

राजस्थान जैसे वृहद एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं एवं आवश्यकतायें हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024–25 के बिन्दु संख्या 20 के अंतर्गत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज़िला उत्थान योजना प्रारंभ की जा रही है। येाजनान्तर्गत जनसहभागिता के सहयोग से योजनान्तर्गत कार्य प्राथमिकता से करवाये जायेंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की Mission Team गठित की जायेगी।

2. योजना का नाम

योजना का नाम "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना होगा।

3. योजना क्षेत्र

यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी। योजना का कार्यक्षेत्र राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र होंगे।

4. योजना का नोडल विभाग

योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग रहेगा, जो अन्य विभागों से समन्वय बनाते हुए योजना अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति प्रदान करेगा। योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कार्य ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा मिशन टीम के गठन एवं प्रबन्धन के लिए किसी प्रतिष्ठित कन्सल्टेन्सी फर्म को अनुबंधित किया जायेगा।

5. योजना का उद्देश्य

- योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करते हुए समग्र विकास पर बल देना है, ताकि क्षेत्रीय भिन्नताओं व आवश्यकताओं के आधार पर जिलों में सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सकें। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनसहभागी नियोजन प्रक्रिया से जिलों के विकास एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय और एकीकृत योजनाओं को विकसित करते हुये महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना।
- जिलों के विकास का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत ढांचागत विकास एवं सुविधाऐं व जनोपयोगी कार्य प्राथमिकता से सम्पादित करना।
- जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देना। सुनिश्चित करना कि, परियोजनाएं निश्चित समयावधि और बजट में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करके सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। परियोजनाओं के संभावित जोखिमों को कम करना और Project Management Tools का उपयोग कर प्रभावी समन्वय और संचार की सुविधा प्रदान करना।
- अत्याधुनिक जीआईएस तकनीक (GIS Technology) एवं अत्याधुनिक Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) तकनीकों के उपयोग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाना।
- विभिन्न विभागों द्वारा संचालित केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता करना।
- क्षेत्रीय चुनौतियों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं (best practices) का अध्ययन कर ज़िले में पहले से उपलब्ध विभिन्न पलेक्सी फंड (जैसे District Mineral Foundation, केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग) या इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध फंड के उपयोग से नवाचारों को pilot करना एवं विभिन्न Prototype and Proof-of-Concepts बनाना।
- विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग टूल और तकनीकों का उपयोग करके जिला प्रशासन के लिए प्रभावी संचार रणनीतियों (communication strategies) को लागू करना।

6. योजना अर्न्तगत प्राथमिकताएं

जमीनी स्तर पर योजनाओं के सफल और सतत् कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक भागीदारी (जन भागीदारी) और सार्वजनिक योगदान (जन सहयोग) महत्वपूर्ण हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक भागीदारी और सार्वजनिक योगदान को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। योजनान्तर्गत जिलें को आंवटित राशि की न्यनूतम 50 प्रतिशत राशि सहभागिता से dovetail की गई योजनाओं पर ही व्यय की जाएगी। उक्त योजना अन्तर्गत प्रावधित राशि को विभिन्न योजनाओं के साथ dovetail किया जाकर कार्य संपादन किये जा सकेंगे।

6.1. जनसहभागिता

- योजनान्तर्गत जनसहभागिता के कार्यों (सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु) 30 प्रतिशत एवं सृजित परिसम्पत्ति पर दानदाता का नाम अंकन करने की स्थिति में 51 प्रतिशत जनसहयोग राशि आवश्यक होगी।
- जनसहयोग से कराये जाने वाले कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में शामिल किये जाने हेतु जनसहयोग राशि विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व संबंधित जिला परिषद में एक मुश्त जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
- स्थानीय समुदाय/सामाजिक संघठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/ व्यक्तिगत दानदाता द्वारा स्थानीय आवश्यकता एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु जनसहयोग राशि वाले अनुमत कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- सहयोगात्मक साझेदारी (Supportive Partnerships) – विभिन्न संगठनों /गैर–लाभकारी संस्थाओं / स्थानीय प्रशासन के बीच सहयोगात्मक साझेदारियों के माध्यम से संसाधन एकत्रित करने और सामुदायिक परियोजनाओं के प्रभावी संवर्धन का कार्य किया जा सकता है।

7. योजना की अवसंरचना

7.1 मिशन टीम

मिशन टीम में, कुशल विशेषज्ञ शामिल होगें, जो जिला कलेक्टर तथा सीईओ, जिला परिषद एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को अति–स्थानीय नियोजन (hyper-local planning) और सेवा वितरण (service delivery) में सहयोग करेंगे। विशेषज्ञ, बैकएंड तकनीकी उपकरणों का उपयोग ज़िले के "आर्थिक विकास" और "समावेशी सामाजिक विकास के दोहरे लक्ष्यों की गति को तेज करने में सहयोग करेंगें।

मिशन टीम, विकास परियोजनाओं/कार्यों के चयन और अनुमोदन में सहायता करेगी। मिशन टीम (Mission Team) में राज्य स्तर पर सामाजिक–तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त पेशेवरों का चयन कन्सल्टेन्सी फर्म के मार्फत से किया जाकर विभिन्न विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। मिशन टीम पर होने वाला व्यय योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद से वहन किया जा सकेगा।

मिशन टीम राज्य स्तर पर, सामाजिक–तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त राज्य संसाधन टीम (SRT) डेटा, क्षेत्रीय समझ, नियोजन और तकनीकी जानकारी के साथ जिला स्तर पर सहयोग करेगी। वे राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों (वित्त, योजना, कृषि, पर्यटन, खेल, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, वन आदि) से सहयोग लेंगे, अभिसरण (convergenc/dovetail) योजना तैयार करेंगे, जिला विकास आवश्यकताओं का आकलन और प्राथमिकता देंगे, राज्य डेटा बैंक विकसित करेंगे, और राज्य

स्तरीय समिति को सहायता प्रदान करेंगे। योजना के प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करना और व्यापक रूप से अपनाने के लिए बेस्ट प्रेक्टिसेज का दस्तावेजीकरण करेगें और उनका प्रसार करेंगें।

मिशन टीम द्वारा विभिन्न संस्थानों, यथा–संयुक्त राष्ट्र संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFIs), गैर सरकारी संगठनों, CSR फाउंडेशन, उद्योग संघों को इस योजना में भागीदार बनाने के लिए प्रयास किया जायेगा।

7.2 योजना शासन संरचना –

योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तर पर योजना का संचालन, निगरानी और मार्गदर्शन करने और जिला स्तर पर योजनाओं और परियोजनाओं/कार्यों की पहचान, अनुमोदन और प्राथमिकता देने के लिए निम्नानुसार शासन संरचना स्थापित की जाएगी:–

राज्य स्तरीय समिति :–

राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव ग्रावि, राजस्थान सरकार करेंगे। समस्त लाईन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समिति के सदस्य रहेंगे। शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।

राज्य स्तरीय समिति के उत्तरदायित्व :–

- विभागीय ई–वर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्तावों का वरीयता क्रम में परीक्षण कर प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी।
- समिति योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि के त्वरित उपयोग एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों के सृजन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगी।
- विकास से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन।
- किसी भी कार्य के लिए उप–समितियों का गठन कर सकेगी एवं आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से आमंत्रित अथवा मनोनीत भी कर सकेगी।

राज्य स्तरीय समिति अर्द्धवार्षिकी बैठक करेगी।

जिला स्तरीय समिति –

योजना की क्रियान्विति एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर करेंगे। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी (लाईन विभाग) इसके सदस्य होंगे एवं संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) समन्वयक रहेंगे। जिला मिशन टीम के सदस्य इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें। समिति समग्र जिला विकास वार्षिक योजना का अनुमोदन, क्रियान्वयन, सम्पादन, पर्यवेक्षण, उपलब्ध धन राशि के त्वरित उपयोग, गुणवत्ता पूर्ण परिसम्पत्तियों का सृजन एवं नियंत्रण से संबंधित समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी।

जिला स्तरीय समिति त्रैमासिक बैठक करेगी।

7.3 योजना का कार्यान्वयन

- जिलों को आवंटित राशि के विरुद्ध 1.5 गुना प्लान जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक जिला मिशन टीम के सहयोग से बनाया जाकर 31 जनवरी तक जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत योजना के सभी कार्यक्षेत्र को समाहित करते हुए ई–वर्क पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनार्थ भिजवाये जायेंगे।
- 28 फरवरी तक राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत 15 मार्च तक कार्ययोजना राज्य स्तर से समस्त जिलों को प्रेषित कर जिलों द्वारा 31 मार्च तक आवंटन राशि के विरूद्व प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति (प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय) जारी की जायेगी।
- वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह में कार्यो की स्वीकृति पश्चात कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
- वार्षिक कार्य योजना के प्रत्येक कार्य की न्यूनतम लागत राशि/स्वीकृत राशि 10.00 लाख रुपये से कम नहीं होगी तथापि यदि जिला स्तरीय समिति का यह सुविचार हो कि कम राशि का कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए लाभकारी होगा तो ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से दर्ज किये जाने वाले कारणों को अभिलिखित करते हुए कार्य योजना में ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- जिले को प्रतिवर्ष आवंटित बजट सीमा में कार्य की अधिकतम स्वीकृत राशि (प्रति–कार्य) 50 लाख रुपये तक सीमित होगी तथा 50 लाख से अधिक लागत का कार्य होने पर उक्त कार्य की स्वीकृति राज्य स्तर से सहमति प्राप्त कर ही जारी की जावेगी।

8. योजनान्तर्गत अनुमत कार्य/परियोजनाऐं (केवल सूचक)

8.1– कृषि एवं संबद्व क्षेत्र

1. समकालिक बाजार से जुड़े फसल चयन, सामूहिक नर्सरी, बैच–बार उत्पादन, थोक कटाई और संस्थागत खरीदारों के लिए विपणन को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन समूहों का विकास।
2. मूल्यवर्धन के लिए लघु–स्तरीय कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
3. गुणवत्ता मानकों और प्रमाणपत्रओं में सुधार के लिए प्रमुख वस्तुओं के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना, विशेष रूप से निर्यात के लिए।
4. जिले में उन्नत कृषि मशीनीकरण के लिए नए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना और वर्तमान केंद्रों का विस्तार।
5. संग्रहण, भंडारण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ड्राईंग, फल प्रसंस्करण सुविधाएं और कोल्ड सप्लाई चेन सहित पूर्व और बाद की कटाई संरचनाओं का विकास।
6. आबादी से, बाजार से जोड़ने के लिए सड़कों, स्ट्रीट लाईटिंग की व्यवस्था, रास्तों पर पेयजल, वॉशरूम, साइनेज, कूड़ेदान, पार्किंग, के साथ–साथ मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था।

7. पहले से निर्मित सिंचाई संसाधनों का बेहतर उपयोग–जिसमें अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के लिए नहरों/पाइपलाइनों का निर्माण, मौजूदा जल संचयन संरचनाओं को मजबूत करना, जल निकायों की सफाई, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देना, रिसाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नहरों की लाइनिंग करना आदि।
8. कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मौसम डेटा प्रदान करने के लिए Micro Weather Stations की स्थापना।
9. ब्लॉक/जिला स्तर पर किसानों को उत्पादक समूहों (Production groups), उत्पादक कंपनियों (production compnies) या किसान उत्पादक संगठनों (farmer produce organations) में संगठित करना तथा वर्तमान उत्पादक समूहों (Production groups), उत्पादक कंपनियों (production compnies) या किसान उत्पादक संगठनों (farmer produce organations) को मजबूत करना।
10. क्रेता–विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करके कृषि और गैर–कृषि उपज के लिए डिजिटल बी 2 बी एग्रीगेटर्स (जैसे बिग बास्केट, निंजाकार्ट, रिलायंस फ्रेश, आदि) के साथ बाजार संपर्क का विकास।
11. eNAM (electronic national agriculture market) और ONDC (Open network for digital commerce) के साथ एकीकरण के लिए APMCS (agricultural produce market committee), निजी बाजार और प्रत्यक्ष बाजार (direct market) लाइसेंसधारियों को प्रशिक्षण व सहायता देना।
12. नई प्रौद्योगिकियों, उन्नत कृषि तकनीकों और नवीनतम Package of Practices के उपयोग से उपज और लाभ बढ़ाने के प्रयास (pilot)।
13. उत्पादों के GI tagging, brand building,product packaging, retail and online advertising के लिए सहायता, विशेषतः ODOP (One District One Product) कार्यक्रम के तहत चयनित उत्पादों के लिए।
14. कृषक सहायतार्थ जिला स्तरीय मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट (MIU) की स्थापना।
15. स्थानीय किसान बाजारों, मेलों और त्योहारों में स्थानीय उपज की ब्रांडिंग और बिक्री के लिए प्रयास।
16. कृषि उद्यमियों का विकास और विभिन क्षेत्रों में क्षमतावर्धन, जैसे पौध, चारा, कृषि मशीनीकरण, बाजार रसद, पशुधन से संबंधित टीकाकरण आदि।

8.2– पर्यटन क्षेत्र

1. प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए सड़क संपर्क में वृद्धि तथा अंतर/बहु–गंतव्य सर्किट सड़कों की गुणवत्ता हेतु कार्य।
2. प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अनिवार्य बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे सूचना केंद्र, पेयजल कियोस्क, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, व्यक्तिगत लॉकर साइनेज, कूड़ेदान, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, आदि।
3. बस स्टैंड और बाजारों में पर्यटकों के लिए सेवाओं / सुविधाओं का उन्नयन।
4. प्रमुख पर्यटक स्थलों के आसपास थीम आधारित अनुभवात्मक (स्वयं करने योग्य) गतिविधियों–खानपान, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि का विकास।
5. सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से आतिथ्य परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त सरकारी भूमि का विकास।
6. Green Key, Carbon Neutral, Plastic Free, ISO 9001, ISO 22000, सुलभ यात्रा आदि जैसे मानकों के साथ पर्यटक स्थलों का प्रमाणन और लेबलिंग।
7. "एकर डेस्टिनेशन के आसपास वार्षिक कैलेंडरीकृत कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे मैराथन, संगीत या फिल्म समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि।
8. वर्चुअल गाइड के लिए क्यूआर कोड, हॉप–ऑन–हॉप ऑफ पास (hop,on,hop,off passe) वर्चुअल रियलिटी (VR) दूर आदि जैसे डिजिटल अनुभव का कार्यान्वयन।
9. अनुभवात्मक पर्यटन गतिविधियों और संबंधित उद्यमशीलता उद्यमों (जैसे होम स्टे) के लिए स्थानीय महिला स्वंय सहायता समूहों (WSHGs) का क्षमतावर्धन।

8.3- MSME क्षेत्र:

1. वर्तमान में स्थापित और नए औद्योगिक पाकों में एमएसएमई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, सड़कें, बिजली, जल उपचार, सीवेज उपचार, अपशिष्ट उपचार, पाइप्ड गैस आपूर्ति, गोदाम, लॉजिस्टिक्स, पावर बैक अप, स्ट्रीट लाइटिंग, साइनेज, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे आदि का विकास। RIICO कुल लागत का लगभग 50% व्यय करेगा एवं शेष राशि योजना अंतर्गत व्यय की जाएगी।
2. गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन में सुधार के लिए जिले में निर्मित प्रमुख उत्पादों के लिए परीक्षण हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना, विशेष रूप से निर्यात हेतु।
3. प्रमुख विनिर्माण क्लस्टरों के निकट प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन केंद्रों, निर्यात घरों और निर्यात सुविधा केंद्रों की स्थापना।
4. पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय शिल्प और हस्तशिल्प क्लस्टर निर्माण।

5. राष्ट्रीय प्लेटफार्मों जैसे ONDC (Open network for digital commerce), GEM, इंडिया बिजनेस पोर्टल आदि पर शामिल होने के लिए MSMES को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।
6. खरीदार–विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके बी2बी और बी2सी एग्रीगेटर्स (जैसे इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजेंन, आदि) के साथ डिजिटल बाजार संबंधों का विकास।
7. उद्योग संघों के साथ साझेदारी करके डीआईसी के माध्यम से MSMEs (micro, small and medium enterprises) को डोमेन विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रावधान।
8. एमपैनल्ड प्रशिक्षण प्रदाताओं और सलाहकारों के साथ साझेदारी करके डीआईसी के माध्यम से MSMEs को अन्य व्यावसायिक विषयों, जैसे व्यापार योजना तैयार करना, पूंजी जुटाना, जीएसटी रिटर्न भरना, लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, TQM (Total Quality management) निर्यात प्रोत्साहन, पेटेंट आवेदन पर प्रशिक्षण।
9. राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए MSMEs के लिए विपणन सहायता का प्रावधान।

8.4– खेल क्षेत्र

1. जिले के स्टेडियम, ट्रेनिंग सेन्टर, हॉस्टल आदि का उन्नयन।
2. खिलाडियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में खेलों का महत्व स्थापित करना।
3. स्थाई प्रकृति के खेल उपकरण क्रय एवं सुविधाओं का विकास।
4. जिले के चयनित खेल के अनुसार खिलाडियों के उचित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना।
5. आवश्यकता अनुसार खिलाडियों को आवास एवं पोषण संबंधी सहायता के लिए उचित आवासीय सुविधायें प्रदान करना।
6. खेलों से संबंधित आवश्यक जानकारी (सुविधाओं, आयोजनों, खिलाडियों को सहायता आदि) ऑनलाईन और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराना।

8.5– अन्य क्षेत्र

- सार्वजनिक आधारभूत संरचना के कार्य जनसहभागिता अन्तर्गत कराये जा सकेंगे।
- स्वयं सहायता समूह (राजीविका) उत्पादों के विपणन हेतु उचित प्लेटफॉर्म का निर्माण/विकास।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- स्थानीय आवश्यकता एवं मांग के आधार पर विशिष्ट परियोजनाओं का चयन कर नयी गतिविधियां विकसित एवं संचालित की जा सकेंगी।

9. योजनान्तर्गत गैर–अनुमत कार्य

- निजी संस्थाओं हेतु परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियां बनाने के लिए राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। लेकिन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से संबद्ध संस्थाओं हेतु कार्य योजनान्तर्गत करवाये जा सकेगें।
- गैर सरकारी संस्थाओं हेतु परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- अनुदान, ऋण।
- सजावट एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी कार्य।
- केवल वस्तु एवं सामान का क्रय।
- आपदा प्रबन्धन हेतु सहायता के कार्य।
- कार्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण एवं वाहन क्रय।
- अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अन्तरित भवनों का रखरखाव।
- राजकीय आवास परिसर का निर्माण।
- आवर्ती व्यय, जिला स्तर पर प्रचार–प्रसार पर व्यय अनुमत नहीं होगा।
- आईटी सिस्टम, पोर्टल के विकास एवं प्रबन्धन संबंधित कार्य।
- धार्मिक गतिविधियों के प्रचार संबंधित कार्य।
- किसी भी राजनीतिक दल या गतिविधियों को समर्थन देने वाले कार्य।

10. वित्तीय प्रावधान एवं निधियों का अवमोचन

- यह योजना पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना होगी।
- योजना का बजट प्रावधान राशि रूपये 500 करोड़ होगा।
  योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय की भी आवश्यकता होगी जिसके लिए योजना के वार्षिक आवंटन की 4 प्रतिशत राशि उपलब्ध होगी। जिसका आवंटन निम्नानुसार किया जाएगा–
  राज्य स्तर हेतु– कुल आवंटन का 3 प्रतिशत
  जिला स्तर हेतु– जिले को कुल आवंटित राशि का 1.00 प्रतिशत
- योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद के अलावा उपलब्ध निधियों को जिलों को निम्नाकिंत मापदण्डों के अनुसार आवंटित किया जाएगा –
  जिलें का आकार – 50 प्रतिशत अधिमान
  जिले की जनसंख्या – 50 प्रतिशत अधिमान
- इसमें विभिन्न योजनाओं/विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण (Convergence) पर विशेष बल दिया जायेगा। साथ ही central scheme, central sponserd scheme, corporate social responsibility एवं जनसहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

11. बजट आवंटन प्रक्रिया

- कार्यों की स्वीकृति के समय कुल वित्तीय स्वीकृत राशि की 60 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में कार्यकारी एजेन्सी को अग्रिम हस्तांतरित की जायेगी। उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अन्तिम किश्त समायोजित मूल्यांकित राशि के अनुसार अथवा अधिकतम शेष 40 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक जारी की जायेगी। इस हेतु प्रचलित विभागीय ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान लागू होंगे।
- वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अन्त तक यदि किसी जिले द्वारा आवंटन राशि के विरूद्व पूर्ण राशि की स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तो उस जिले की शेष बचत राशि को अन्य जिलों की मांग पर उनको राज्य स्तर से जारी की जा सकेगी ।
- कार्य स्वीकृति से पहले स्वीकृत कर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों के लिए सभी वैधानिक एवं नियामक मंजूरी सक्षम प्राधिकरणों से प्राप्त कर ली गयी हैं, एवं कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुरूप है।
- कार्यान्वयन एजेंसियां कार्यों को निष्पादित करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं एवं प्रणाली का अक्षरशः पालन करेगी।
- यदि किसी कारणवश किसी कार्य को रोकना/छोड़ना अपरिहार्य हो जाता हैं तो प्रकरण को पूर्ण औचित्य एवं उत्तरदायी कार्मिकों के उल्लेख के साथ राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- सामान्यतयाः कार्यों का क्रियान्वयन राजकीय विभाग/स्वायत्तशाषी निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाएगा, किन्तु आवश्यकता अनुसार कोई कार्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा विशेष विधि के तहत गठित निगम/बोर्ड/अभिकरण जो कार्य करने में सक्षम हैं, के माध्यम से करवाया जा सकेगा। कार्यों हेतु कार्यकारी संस्था को प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा।
- कार्यों के क्रियान्वयन/निरीक्षण के संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की व्यवस्थाएं लागू होगी।
- योजनान्तर्गत राजकीय विभागों/बोर्ड/निकाय हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कार्य संबंधित विभाग/एजेन्सी की प्रचलित बीएसआर दरों से तकमीने तैयार करवाये जायेगे तथा उनका क्रियान्वयन भी तदनुसार कराया जा सकेगा, परन्तु कार्य पर कोई प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा।
- कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी प्रचलित कार्य निर्देशिका के अनुरूप तैयार करवाये जायेंगें।

12. क्रियान्विति, समीक्षा, मूल्यांकन एवं अंकेक्षण

12.1 ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका –

- राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को विभागीय ई–वर्क पोर्टल पर स्वीकृति हेतु संबंधित जिलों को अग्रेषित करना।

- योजना में जारी निधियों की समग्र स्थिति, स्वीकृत कार्यों की प्रगति, उपयोग की गई निधि आदि सहित योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिलों से समन्वय स्थापित करते हुए नियमित समीक्षा करना।
- समय–समय पर विभागीय ई–वर्क पोर्टल के माध्यम से योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगा और कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए समय–समय पर जिलों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु लाईन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- योजनान्तर्गत जिलों को निधियां जारी करना।
- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आकस्मिक निरीक्षण करना।
- योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन एवं अन्य आवश्यक निर्देश जारी करना।

12.2. जिला प्राधिकारियों की भूमिका –

- जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के प्रस्तावों को विभागीय ई–वर्क पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर को प्रेषित करना।
- अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार कार्यों की स्वीकृति विभागीय ई–वर्क पोर्टल के माध्यम से जारी करना।
- जिला स्तर पर योजना के तहत कार्यों की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी।
- योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के मापदण्ड, प्रचलित दिशा–निर्देश एवं प्रावधानों की पालना हेतु उत्तरदायी।
- योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों के नियमित निरीक्षण हेतु उत्तरदायी।
- जिला स्तर पर प्रत्येक माह में कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- योजनान्तर्गत पूर्ण किए गए और प्रगतिरत कार्यों में से प्रतिदर्श (Sample) कार्यों का स्वतंत्र तृतीय–पक्ष मूल्यांकन करवाना।
- योजना में हुए व्यय की प्रति वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर विभाग को भिजवाया जाएगा।
- विभाग के ई–वर्क पोर्टल पर योजना की अद्यतन प्रगति का नियमित इन्द्राज करना।
- प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका अनुसार निर्धारित समय–सीमा में कार्यों को पूर्ण कराना, समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर उत्तरदायी के विरूद्ध नियमानुसार शास्ति/ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- किसी भी संबंधित व्यक्ति/संस्था द्वारा योजना दिशा–निर्देश के उल्लंघन, लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनात्मक/ दंडात्मक कार्यवाही करना।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अधीन संचालित अन्य विकास योजनाओं की भांति यह योजना भी सामाजिक अंकेक्षण में शामिल की जायेगी।

- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सभी नागरिकों को योजना के किसी भी पक्ष एवं इसके तहत प्रस्तावित, स्वीकृत एवं निष्पादित कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

12.3 कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका –

- विस्तृत तकमीना अनुसार निर्धारित तकनीकी मापदण्डों की पालना करते हुए कार्यों का गुणवत्ता पूर्ण सम्पादन करवाना।
- कार्यों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाना।
- कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्य स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया, विनिर्देशों और समय सीमा अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है।
- कार्य पूर्ण होने पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन उपरांत प्रेषित करना।

13. प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित निर्देश :–

योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय की भी आवश्यकता होगी जिसके लिए योजना के वार्षिक आवंटन की 4 प्रतिशत राशि उपलब्ध होगी। प्रशासनिक व्यय हेतु प्रचलित लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

प्रशासनिक व्यय में निम्नानुसार कार्य अनुमत होंगे –

राज्य स्तर हेतु –

- आईटी सिस्टम, पोर्टल के विकास एवं प्रबन्धन संबंधित कार्य।
- थर्ड पार्टी मूल्यांकन।
- प्रशिक्षण/कार्यशाला/आमुखीकरण/समीक्षा बैठक में होने वाले व्यय, योजना का प्रचार–प्रसार।
- पेशेवर विशेषज्ञों को मानदेय।
- राज्य मिशन टीम से संबंधित व्यय।
- अदालती मामलों पर किये गये व्यय।
- स्टेशनरी, फोटोकॉपी, प्रिटिंग, इन्टरनेट, कार्यालय फर्नीचर एवं मैन विथ मशीन।
- अनुबंधित वाहनों पर व्यय।
- अभिलेख संधारण।
- कार्यो की गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु सतत् मॉनिटरिंग के कार्य।

जिला स्तर हेतु –

- ग्रामों में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर गैप्स के चिन्हीकरण हेतु सर्वे कार्य।
- प्रशिक्षण/कार्यशाला/आमुखीकरण/समीक्षा बैठक में होने वाले व्यय, योजना का प्रचार–प्रसार।
- पेशेवर विशेषज्ञों को मानदेय।
- जिला मिशन टीम संबंधित व्यय।
- विकास के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)।

- कार्यो की गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु सतत् मॉनिटरिंग के कार्य।
- थर्ड पार्टी मूल्यांकन।
- स्टेशनरी, फोटोकॉपी, प्रिटिंग, इन्टरनेट एवं मैन विथ मशीन।
- अनुबंधित वाहनों पर व्यय। (अधिकतम राशि रू. 3 लाख वार्षिक)

इन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों की व्याख्या/स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो ग्रामीण विकास विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि।
7. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8. निजी सचिव, महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त।
10. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका।
11. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
12. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन/जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण/एस.एस.ए.ए.टी/डीआईपीआर।
13. संभागीय आयुक्त, समस्त।
14. जिला कलक्टर, समस्त।
15. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
16. शासन उप सचिव (प्रशासन/परि. निदे. एवं पदेन उपसचिव समस्त/अधीक्षण अभियंता) ग्रावि।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रावि), जिला परिषद, समस्त को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त मार्गदर्शिका की एक–एक प्रति संबंधित माननीय संसद सदस्य/विधायक/जिला प्रमुख को उपलब्ध करावें।
18. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता,
गुण एवं नियंत्रण
ग्रामीण विकास विभाग

Page | 14